10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

दिनांक 7-2-13 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत। 7-2-13 A.S.O

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी R-535-II/13

हरदेव सिंह पुत्र श्री मुलायम सिंह
आयु– 70 वर्ष, व्यवसाय–कृषि कार्य
निवासी– ग्राम जरया तहसील पलेरा
जिला टीकगगढ, म0प्र0

.......आवेदक

बनाम

1–म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार
महोदय पलेरा , जिला–टीकमगढ
2–भरोसे तनय श्री पुन्नाई पाल
व्यवसाय– कृषि, निवासी –ग्राम जरया
तहसील पलेरा जिला टीकगगढ, म0प्र0

......अनावेदकगण

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 21/12/12 जिसमें तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 44 ए /12/09–10में पारित आदेश दिनांक 04/06/2012 को निरस्त किये जाने की याचना की थी, पारित द्वारा अपर कलेक्टर महोदय, जिला – टीकमगढ जो प्रकरण कमांक 2/निगरानी /12–13 में पारित कर निगरानी इस आधार पर अग्राह्य की है कि श्रीमान् अपर कलेक्टर को एम0पी0एल0आर0सी0 की धारा 50 में किये गये संशोधन के अनुसार उन्हें निगरानी के श्रवण करने की अधिकाररिता नही है।**

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

**संक्षिप्त तथ्य**

1– यह कि, आवेदक को मौजा जरया जिला टीकमगढ में खसरा कमांक 505/2 की भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था जिस पर आवेदक पट्टा दिनांक अर्थात् 50–60 वर्षो से लगातार वास्तविक रुप से काबिज होकर कृषि कार्य करता आ रहा है।

2– यह कि, अनावेदक कमांक 2 को मौजा जरया के खसरा कमांक 505/1 /2 की भूमि पर पट्टा दिया जाना कहा जाता है और अनावेदक कमांक 2 द्वारा उसे दी गई पट्टे की भूमि पर सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया जाना कहा जाता है । जिस आधार पर दिनांक 08/07/2010 को सीमांकन दल द्वारा सीमांकन करने हेतु मौके पर जाना कहा जाता है, लेकिन कोई सीमांकन ना होना अनावेदक कमांक 2 द्वारा कहते हुये श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ के समक्ष एक निगरानी दिनांक 27/09/2010 को प्रस्तुत की गई थी। जिस आधार पर श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पुनः सीमांकन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

3– यह कि, राजस्व निरीक्षक पलेरा द्वारा सीमांकन दल के साथ मौके पर दिनांक 07/05/2012 को उपस्थित होकर सीमांकन किया ...

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 535–II/2013 जिला टीकमगढ़

हरदेव विरूद्ध शासन आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 01–3–2019 | आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 2/निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 2–5–2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>सदस्य 01.3.19 | |